

**ग्राम पंचायत बनोली खास, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के लेखाओं
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बनोली खास, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती लता देवी	1.4.13 से 22.1.16
2	श्री सतपाल सिंह	23.1.16 31.3.16

सचिव:-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री सुरिन्द्र सिंह	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत बनोली खास के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	9	खाता ख में अर्जित ब्याज को खाता क में अन्तरित न करना	0.11
2	11	अनुदान का उपयोग न करना	4.31
3	12	औपचारिकताओं के पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.55

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत बनोली खास, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरबीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 14.2.17 से 20.2.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 3/15 व 4/15 तथा 6/13, 12/14 व 9/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत बनोली खास, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 236 दिनांक 20.2.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बनोली खास से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:—

ग्राम पंचायत बनोली खास द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:—

(1) स्वः स्रोत:— ग्राम पंचायत बनोली खास के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	208057.50	406725	614782.50	426745	188037.50
2014—15	188037.50	716589	904626.50	338064	566562.50
2015—16	566562.50	214726	781288.50	450568	330720.50

(2) अनुदान:— ग्राम पंचायत बनोली खास के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट—1 में भी दिया गया है:—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	4260	1269046	1273306	1259284	14022
2014-15	14022	868180	882202	872616	9586
2015-16	9586	1201686	1211272	780290	430982

दिनांक 31.3.2016 को स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2) ₹761202.50
दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रमांक	अनुदान का नाम	के0सी0सी0बी0 राजा का तालाब खाता सं0	राशि
1	Sabha Fund	20030068667	330720.50
2	ZP	50054926548	648
3	RAY-AA Y	50054926520	368
4	IAY	50054926537	शून्य
5	Manrega	20030006790	शून्य
6	MMGY	50063143342	79159
7	14 th Fin.	50062969797	349799
8	P.Samity	50054926559	627
9	M.P. LAD	50054926480	381
		कुल	₹761702.50

अन्तशेष का विवरण:-

(क)	दिनांक 31.3.16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	761702.50
(ख)	दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि	761702.50

5 पंचायत राजस्व ₹0.02 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत की स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹2240 की वसूली शेष थी।

गृहकर:-

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	8310	8240	16550	12690	3860
2014-15	3860	8240	12100	—	12100
2015-16	12100	8660	20760	19370	1390
भू राजस्व					
2013-14	शून्य	850	850	850	0
2014-15	0	850	850	850	0
2015-16	0	850	850	0	850

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

6 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार तैयार न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्रोत माने जाएंगे और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम-3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और ऋण मानी जाएगी। इस आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्रोत की व अनुदानों के लिए तीन रोकड़ बहियाँ व नौ बैंक बचत खाते ग्राम पंचायत द्वारा खोले गए थे जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारे:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाना:—

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्रोत, जैसे कि गृहकर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त सम्बन्धित अभिलेख तैयार करके कृत व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 खाता "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.11 लाख को खाता "क" में अन्तरित न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	वर्ष			कुल ब्याज (₹)
	2013—14	2014—15	2015—16	
50054926548	—	204	444	648
50054926520	—	213	55	268
50054926537	410	473	18	901
20030006790	5423	168	—	5591
50063143342	—	—	2169	2169
50062969797	—	—	—	—
50054926559	—	309	318	627
50054926480	—	367	14	381
जोड़	5833	1734	3018	10585

10 नियमों के विरुद्ध नौ बैंक बचत खातों का खोला जाना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में

पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार नौ बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन सात अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

11 अनुदान ₹4.31 लाख का उपयोग न करना:—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹430982 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.55 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹354604 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹8.00 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की

जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹8.00 लाख का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः निर्माण कार्यों का निष्पादन बिना सहभागी समिति के गठन के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए सहभागी समिति गठित करनी सुनिश्चित की जाए।

14 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	—
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

15 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

- 16 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।
17 निष्कर्ष:— लेखों के रख रखाव में उचित सुधार एवं कड़ें निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता /—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 88 / 2017-खण्ड-1-2314-2317 दिनांक: 21.04.2017
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत बनोली खास, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता /—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
0177-2620881

(परिशिष्ट-2)

ग्राम पंचायत बनोली खास, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

(पैरा-12 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0स0/दिनांक	विवरण	राशि
1	सभा निधि	18/24.8.13 28/14.10.13	व मैसर्ज शिवा ईन्जीनियरिंग वर्क्स द्वारा खिडकी दरवाजो की आपूर्ति हेतु भुगतान Paid Amount 9000/24.8.13 +10350/14.10.13	19350
2	सभा निधि	29/14.10.13	मैसर्ज विपन हार्डवेयर स्टोर राजा का तालाब द्वारा सैनीटेशन के सामान हेतु भुगतान	26862
3	मनरेगा	3/17.4.13	श्री सतपाल सिंह द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	28864
4	मनरेगा	7/17.4.13	—यथोपरि—	21650
5	मनरेगा	20/21.6.13	श्री रशपाल सिंह द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	31800
6	मनरेगा	24/21.6.13	श्री जसवन्त सिंह द्वारा रेत बजरी पत्थर आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	33941
7	मनरेगा	34/24.7.13	मै0 मनोज शैटरिंग स्टोर द्वारा को स्टील शटरिंग आपूर्ति हेतु भुगतान	16783
8	मनरेगा	35/24.7.13	श्री सतपाल सिंह द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	18840
9	मनरेगा	36/8.8.13	—यथोपरि—	65700
10	मनरेगा	94/25.9.13	श्री सतपाल सिंह द्वारा बजरी आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	22840
11	सभा निधि	33/17.10.14	श्री सतपाल सिंह द्वारा रेत, बजरी, पत्थर आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	11482
12	MP LAD	4/29.10.14	श्री जसवन्त सिंह द्वारा रेत, बजरी, पत्थर आदि का भुगतान	32180
13	पंचायत सीमेन्ट	4/18.12.14	—यथोपरि—	24132

कुल ₹354604

(परिशिष्ट-3)

ग्राम पंचायत बनोली खास, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन

(पैरा-13 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	कार्य का नाम	राशि
1	मनरेगा	निर्माण डंगा भूमि कटाव रोकने हेतु हरनाम, अमर बगैरा की जमीन में	150000
2	मनरेगा	निर्माण डंगा भूमि कटाव रोकने के लिए बलविन्दर बगैरा की जमीन में	150000
3	मनरेगा	निर्माण कुआं इन्द्र सिंह की जमीन में	100000
4	मनरेगा	निर्माण कुआं जसरोटिया मुहल्ला	100000
5	मनरेगा	निर्माण डंगा ओम प्रकाश बगैरा की जमीन में	150000
6	मनरेगा	निर्माण चैक डैम बलवन्त बगैरा की जमीन में	150000
कुल			₹800000